डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 रामदेई बनाम ग्यारसी वगैरा

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 130/2017

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू ......- व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दढ व .... डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 2382 रकवा 0.39 है. वाके ग्राम खांगरी में मुताबिक वयनामा दिनांक 31.03.2005 व नामांतकरण सं. 176 दिनांक 20.07.2005 के आधार पर असल प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादिनी को उनके संपूर्ण हिस्सा 9/10 दर हिस्सा 1/2 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बीज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02.04.2024 को जारी की गई ।

दस्तखत—— 2/4/24

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
			मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

2/4/24

Scanned with CamScanner

1. रामदेई वेवा हरीराम जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)

वादिनी

बनाम

1. ग्यारसी वेवा अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
2. फूलसिंह पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
3. जसवन्त पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
4. रज्जो पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
5. तीरथ पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
6. शिब्बा पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
7. सत्तो पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
8. गीता पुत्री अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
9. समला पुत्री अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)

असल प्रतिवादी

10. अनंग पुत्र मोती जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
11. राजकुमारी पुत्री मोती जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
12. रेशमा पुत्री मोती जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
13. हरीचरन पुत्र परमोली जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
14. हरदेई पुत्री परमोली जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
15. हरप्यारी पुत्री परमोली जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
16. सोनदेई वेवा हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
17. डालचन्द पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
18. बब्बू पुत्र हरीसिंह नावालिग व विलायत माता खुद सोनदेई वेवा हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
19. सन्तोष पुत्री हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
20. मीना पुत्री हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

तरतीवी प्रतिवादी

2/4/24

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 130 / 2017
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 02.04.2024

1. रामदेई वेवा हरीराम जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)

वादिनी

बनाम

1. ग्यारसी वेवा अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
2. फूलसिंह पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
3. जसवन्त पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
4. रज्जो पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
5. तीरथ पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
6. शिब्बा पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
7. सत्तो पुत्र अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
8. गीता पुत्री अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
9. समला पुत्री अर्जुन जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)

असल प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

10. अनंग पुत्र मोती जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
11. राजकुमारी पुत्री मोती जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
12. रेशमा पुत्री मोती जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
13. हरीचरन पुत्र परमोली जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
14. हरदेई पुत्री परमोली जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)

2/4/24

Scanned with CamScanner

15. हरप्यारी पुत्री परमोली जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
16. सोनदेई वेवा हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
17. डालचन्द पुत्र हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
18. बब्बू पुत्र हरीसिंह नावालिग व विलायत माता खुद सोनदेई वेवा हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
19. सन्तोष पुत्री हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
20. मीना पुत्री हरीसिंह जाति जाटव निवासी खांगरी तह. नदबई (भरतपुर)
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

तरतीवी प्रतिवादी

उपस्थित श्री भगवानसिंह एड0(वादीगण)

निर्णय   दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में खातेदारान सन्ता वेवा मोती की मृत्यु हो चुकी है तथा खातेदार मोहन पुत्र मोती भी लावल्द विलाऔरत फौत हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादी सं. 10 लगायत 12 दावा में पक्षकार बनाये गये हैं, तथा प्रतिवादी सं. 18 नावालिग है जिसका वलीसरपरस्त उसकी माता सोनदेई वेवा हरीसिंह को बनाया गया है, अन्य सभी वादिनी व प्रतिवादीगण स्वस्थ्यचित्त है, व दावा लडने में सक्षम हैं।
2. यह कि आराजी खसरा न. 2382 रकवा 0.39 है. वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें असल प्रतिवादीगण जमाबंदी सं. 2060 में दर हिस्सा 1/2 में 9/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है वादिनी ने खसरा न. 2382 का संपूर्ण हिस्सा 9/10 दर हिस्सा 1/2 वयनामा दिनांक 31.03.2005 से असल प्रतिवादीगण से कीमतन क्रय कर लिया था तथा तथा वयनामा के आ[illegible]मान्तकरण सं. 176 दिनांक 20.07.2005 के भी [illegible] जा चुका [illegible]न्तकरण सं. 176 दिनांक 20.07.2005 [illegible] लेकिन नामांतकरण स. 176 दिनांक 20.07.2005 [illegible] में न खोलकर असल प्रतिवादीगण का अमल जमाबंदी सं. 2062 से 2065 में न खोलकर असल प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

2/4/24

Scanned with CamScanner

को सहवन से बरकरार जमाबंदी के कॉलम सं. 4 में खातेदार दर्ज कर दिया गया और इसी गलती के कारण असल प्रतिवादीगण बिना कोई टाईटल के आज भी खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं जबकि वयनामा दिनांक 31.03.2005 व नामांतकरण सं. 176 के आधार पर खसरा न. 2382 में हाल जमाबंदी के कॉलम सं. 4 में असल प्रतिवादीगण के स्थान पर वादिनी खातेदार काश्तकार दर्ज होनी चाहिये थी जिसे वादिनी जरिये अदालत दुरूस्त करा पाने की अधिकारी है।

3. यह कि असल प्रतिवादीगण ने वादिनी को दिनांक 25.05.2017 को खुलेआम धमकी दी है कि विवादित आराजी की खातेदारी उनके नाम दर्ज चली आ रही है इसलिये वह विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर वादिनी को कब्जे से बेदखल करके रहेंगे अगर असल प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादिनी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। इसलिये वादिनी असल प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबन्द करा पाने की अधिकारी है कि वह विवादित आराजी को रहनवयमुन्तकिल नहीं करे व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

4. यह कि बिनाय मुखास्मत यौमदेने धमकी दिनांक 25.05.2017 से वाद पैदा होकर वादिनी को यह दावा श्रीमानजी के समक्ष पेश करना पडा है।

5. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में वर्णित आराजी मुतनाजा व पक्षकारान मुकदमा न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है।

6. अन्त में प्रार्थना है कि विवादित आराजी खसरा न. 2382 रकवा 0.39 है. वाके मौजा खांगरी में वयनामा दिनांक 31.03.2005 के व नामान्तकरण सं. 176 दिनांक 20.07.2005 के आधार पर असल प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन करते हुये वादिनी को उनके संपूर्ण हिस्सा 9/10 दर हिस्सा 1/2 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व हाल जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने के आदेश दिये जावें। असल प्रतिवादीगण ... जरिये हुक्म इम्तनाईदवामी की डिक्री से पावंद किया जावे कि ... आराजी मुतनाजा मद सं. 2 वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

2/4/24

Scanned with CamScanner

की आराजी को ताफैसला वाद रहनवयमुन्तकिल नहीं करें व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 21 की तलवी हो चुकी है, लेकिन उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संबत 2070–73 वाके ग्राम खांगरी, नकल वयनामा दिनांक 31.05.2005, नकल नामान्तकरण स. 176, नकल जमाबंदी संवत 2060–2063 वाके ग्राम खांगरी, नकल जमाबंदी संवत 2062–2065 वाके ग्राम खांगरी पेश की गई एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी रामदेई वेवा हरिराम जाति जाटव निवासी खांगरी, एवं श्यामसुन्दर पुत्र ऊदल जाति जाटव निवासी खांगरी के शपथपत्र पेश किये गये।

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश एवं मौखिक ब्यान पेश नहीं किये गये।

वादी वकील द्वारा दौराने बहस वादपत्र मे दर्ज तथ्यों को दोहराया गया एवं वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,189 आरटीए के तहत पेश किया गया। वादपत्र में दर्ज विवादित आराजीयात खसरा न. 2382 रकवा 0.39 वाके ग्राम खांगरी तहसील नदबई पर स्थित है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2060 में असल प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के दर हिस्सा 1/2 में से 9/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है तथा वादिनी ने खसरा न. 2382 का संपूर्ण हिस्सा 9/10 दर हिस्सा 1/2 का वयनामा दिनांक 31.03.2005 से [illegible] वादीगण सं. 1 लगायत 9 से जरिये कीमतन [illegible] कर लिया गया [illegible] तथा वयनामा के आधार पर नामांतकरण सं. 176 दिनांक 20.07.2005 से वादिनी रामदेई वेवा हरिराम कौम जाटव हिस्सा 9/10 दर हिस्सा 1/2 साकिन देह खातेदार के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

2/4/24

Scanned with CamScanner

में दाखिला खारिज खोला गया जिसकी पुष्टि में वादिनी द्वारा नकल नामांतकरण सं. 176 पेश की जिससे साबित होता है परन्तु नामांतकरण सं. 176 का अमल आगामी जमाबंदी संवत 2062–2065 में न खोलकर असल प्रतिवादीगण के नाम बदस्तूर जमाबंदी के कॉलम सं. 4 में दर्ज कर दिया तथा उक्त गलती के कारण आज भी उक्त इन्द्राज असल प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे हैं। जबकि मुताबिक वयनामा नामांतकरण सं. 176 के आधार पर खसरा न. 382 के कॉलम सं. 4 में असल प्रतिवादीगण के स्थान पर वादिनी को खातेदार काश्तकार इन्द्राज होने चाहिये थे जो नहीं किये गये हैं। इस प्रकार वादिनी को मुताबिक वयनामा असल प्रतिवादीगण के स्थान पर खातेदार इन्द्राज होने चाहिये। इसके अलावा वादिनी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाहान के शपथ पत्र पेश किये गये, जो वादिनी के वादपत्र को ताहीद करता है। अतः विवादित आराजीयात पर असल प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 के चले आ रहे हाल इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं। अतः वादी का वादपत्र मुताबिक वादपत्र डिक्री किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 2382 रकवा 0.39 है. वाके ग्राम खांगरी में मुताबिक वयनामा दिनांक 31.03.2005 व नामांतकरण सं. 176 दिनांक 20.07.2005 के आधार पर असल प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादिनी को उनके संपूर्ण हिस्सा 9/10 दर हिस्सा 1/2 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.24 को खुले न्यायालय में [illegible] होकर नम्बर से कम की लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली [illegible] जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 17:25:20 IST
Reason: SelfAttested

(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Scanned with CamScanner